

राजस्थान सरकार
निदेशालय स्थानीय निकाय विभाग, राजस्थान, जयपुर

जी-3, राजमंडल रेजीडेन्सी ऐरिया, सिविल लाईन फाटक, जयपुर
ई-मेल- caodlb@gmail.com
टेलीफोन/फैक्स नं- 0141-2223074

क्रमांक/प.6(ट)/(320)लेखा/लेखा/14एफसी/निष्पादन अनु./2016-20/756-94 दिनांक: 11. 4. 16
आयुक्त/अधिक्षापी अधिकारी,
नगर निगम/परिषद/पालिका,
समस्त।

विषय:- 14वें वित्त आयोग के अन्तर्गत निष्पादन अनुदान हेतु दावा प्रस्तुत करने बाबत।

प्रसंग:- विभागीय परिपत्र क्रमांक प.6(ट)/(309)लेखा/डीएलबी/
14एफ.सी/दिशा-निर्देश/2015/20102 दिनांक 29.02.16

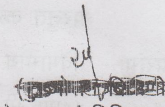
उपर्युक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक परिपत्र द्वारा 14वें वित्त आयोग से अन्तर्गत प्राप्त होने वाले कार्यानुसार अनुदान (निष्पादन अनुदान) प्राप्त करने हेतु मापदण्ड निर्धारित करते हुये सभी नगरीय निकायों को जारी किया जा चुका है। आपकी निकाय द्वारा परिपत्र में दर्शायी गये मापदण्डों के अनुसार अपना दावा प्रस्तुत नहीं किया है।

अतः निर्देशित किया जाता है कि दिनांक 31.05.2016 से पूर्व निम्न प्रपत्र में सूचना प्रस्तुत करे:-

क्र.सं.	मापदण्ड	संलग्न की जाने वाली सूचना									
1	वर्ष 2013-14 व 2014-15 के वार्षिक लेखे एक्युअल बेस डबल एन्ट्री एकाउन्टींग सिस्टम से तैयार कर उन्हें अंकेक्षित कराना।	इस हेतु वर्ष 2013-14 एवं वर्ष 2014-15 की अंकेक्षित वार्षिक लेखे (बैलेस शीट) संलग्न कर प्रस्तुत करें।									
2	नगरपालिका को पिछले वर्ष की तुलना में अपने राजस्वों (चुंगी और प्रवेश कर से हुई आय को छोड़कर) में कम से कम 10 प्रतिशत वृद्धि दर्शानी होगी जैसा संपरीक्षित लेखाओं में दर्शाया गया है।	इस हेतु नगरीय निकाय की वर्ष 2014-15 एवं 2015-16 के वास्तविक निजी आय (चुंगी और प्रवेश कर से हुई आय को छोड़कर) में हुयी वृद्धि को निम्न प्रारूप में प्रस्तुत करें:- <table border="1"> <tr> <th>निजी आय का मद</th><th>निजी आय की वास्तविक प्राप्ति 2014-15</th><th>प्रतिशत वृद्धि 2015-16</th></tr> <tr> <td>1</td><td>2</td><td>3</td></tr> <tr> <td></td><td></td><td></td></tr> </table>	निजी आय का मद	निजी आय की वास्तविक प्राप्ति 2014-15	प्रतिशत वृद्धि 2015-16	1	2	3			
निजी आय का मद	निजी आय की वास्तविक प्राप्ति 2014-15	प्रतिशत वृद्धि 2015-16									
1	2	3									
3	सर्विस लेवल बेंच मार्क का निर्धारण करना एवं प्रकाशित करवाना।	वर्ष 2015-16 के प्रकाशित बेंच मार्क की प्रति प्रस्तुत									

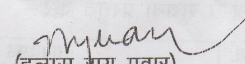
यहां यह स्पष्ट किया जाता है कि उक्त दिनांक तक दावा विभाग में प्राप्त नहीं होने की स्थिति में संबंधित नगरीय निकाय को निष्पादन अनुदान आवंटित नहीं किया जावेगा एवं उस निकाय की राशि को अन्य निकाय को आवंटित कर दिया जावेगा जिसकी व्यक्तिगत जिम्मेदारी संबंधित निकाय के आयुक्त/अधिकाधिकारी की होगी साथ ही संबंधित नगरपालिक अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही भी प्रस्तावित की जा सकती है।

अतः दिनांक 31.05.2016 तक अपना दावा प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित करे।


निदेशक एवं विशिष्ट सचिव

क्रमांक/प.6(ट)(320)लेखा/लेखा/14एफसी/निष्पादन अनु/2016-20/344-57 दिनांक: 11.04.16
प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

01. उप निदेशक (क्षेत्रीय), स्थानीय निकाय विभाग, जयपुर/जोधपुर/बीकानेर/उदयपुर/कोटा/भरतपुर/अजमेर।
02. Municipal Finance Reform Cell निदेशालय को सूचना संकलित करने हेतु।
03. प्रभारी अधिकारी, वेवसाईट/समन्वयक, सीएमआर को वेवसाईट पर अपलोड करने हेतु।


(हुलोस राय पवार)
मुख्य लेखाधिकारी